

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :-14/24

प्रार्थी

बनाग

अप्रार्थी

एस.आर.जी. हाउसिंग फाईनेन्स
लिमिटेड
321, एस.एम. लोढा काम्पलैक्स,
शास्त्री सर्कल, उदयपुरजरिये
प्राधिकृत अधिकारी श्री राहुल
कुमावत

- जितेन्द्र शर्मा पुत्र श्री दशरथमल शर्मा
जूनी धान मण्डी, वार्ड नम्बर 24, जिला
जोधपुर
- पुष्पा देवी शर्मा पत्नि श्री दशरथमल
शर्मा
354, सेवगो की गली, दफतरियों का
बारा, मोती चौक, जिला जोधपुर
- दीपमाला शर्मा पत्नि श्री जितेन्द्र शर्मा
मूलजी की होटल के पीछे, पंचदेवरियों
की गली, सराफा बाजार जिला जोधपुर



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक :-05.12.2024

1-चन्द्र सिंह राठोड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण जितेन्द्र शर्मा पुत्र श्री दशरथमल शर्मा व अन्यकेविरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 10,00,000/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण पुष्पा देवी शर्मा पत्नि श्री दशरथमल शर्मा की जायदाद आवासीय सम्पति अवस्थित पंचदेवरियों के पीछे, पंच मन्दिर गली, पुंगलपाडा, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 543.91 वर्गफुट, जिसके उत्तर में अन्य सम्पति, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में रामकिशन व्यास का मकान एवं पश्चिम में जगदीश प्रसाद सोनी का मकान आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि

Page 1 of 2

जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज०)

मय ब्याज को अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 11.07.2020 तक 11,56,400/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 10,00,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 11.07.2020 तक 11,56,400/- रुपये वरूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद पुष्पा देवी शर्मा पत्नि श्री दशरथमल शर्मा की जायदाद आवासीय सम्पत्ति अवस्थित पंचदेवरियों के पीछे, पंच मन्दिर गली, पुंगलपाडा, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 543.91 वर्गफुट. जिसके उत्तर में अन्य सम्पत्ति, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में रामकिशन व्यास का मकान एवं पश्चिम में जगदीश प्रसाद सोनी का मकान आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को सुनाया गया।



दिनांक

प्रति
प्रमुख अतिथि, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)